वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 171/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-13.05.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 13.05.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना अहरौलाः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनाँक- 13.05.2025 को रि0उ0नि0 नितेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान पुराचितू विड़हर अण्डर पास के नीचे से एक व्यक्ति सौगंध यादव पुत्र मनोज यादव निवासी चक- चरांव थाना- फूलपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ समय 08.35 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 189/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 189/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता–

1- सौगंध यादव पुत्र मनोज यादव निवासी चक- चरांव थाना- फूलपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

02.थाना – रौनापारः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

वादी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 09.05.25 को समय करीब 14.00 बजे वादी की पुत्री को आरोपी उत्तम सिंह पुत्र अज्ञात निवासी कईता थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर दिनांक 10.05.25 मु0अ0सं0 163/25 धारा 137(2),87 बीएनएस बनाम उत्तम सिंह पुत्र अज्ञात निवासी कईता थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया। अपृहता की बरामदगी दिनांक 12.05.25 को किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

उ0नि0 विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला मय हमराह द्वारा आज दिनांक 13.05.25 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र अज्ञात निवासी कईता थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र 21 वर्ष को लाटघाट बाजाहर से करीब 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उत्तम सिंह उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लेकर मा0न्या0 रवाना किया गया।

03.थाना- जीयनपुरः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 18.04.2025 को आवेदक थाना जीयनपुर आजमगढ उपस्थित थाना आकर प्रार्थना पत्र दिये की वादी की पुत्री कक्षा 8 की छात्रा है, दिनांक 18.04.2025 समय 3.00 बजे वादी को पता चला कि वह घर पर नही है इसके बाद अपने सगे संबंधियो से मिलकर ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसका कही भी पता न चला के सम्बन्ध मे सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 140/2025 धारा 137(2) BNS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बनाम अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 मुन्ना लाल यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है ।विवेचना के क्रम मुकदमा उपरोक्त मे से सम्बन्धित पीडिता को दिनांक 23.04.2025 को सकुशल बरामद किया गया तथा अवलोकन बयान अपहृता बयान अन्तर्गत धारा 180/183BNSS के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 65(1)/87BNS व 4(2)पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी तथा बाल अपचारी नाम प्रकाश मे आया ।विवेचना के क्रम मे-

पुलिस अभिरक्षा का विवरण–

दिनांक 13.05.2025 को उ0नि0 मुन्नालाल यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को समय करीब 07.45 बजे चुनहवा थाना जीयनपुर आजमगढ़ से पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

04. थाना- कप्तानगंजः अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 29.04.2025 को वादी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक- 28.04.2025 को समय करीब- 8.00 बजे दिन में वादी की पुत्री को घर पर बिना बताये हुए घर से कही चली गई है। वादी उसका बहुत खोज बीन किया लेकिन उसका पता नही चला, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 109/25 धारा 137(2) BNS पंजीकृत हुआ। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 काशी नाथ यादव द्वारा की जा रही है व मुकदमा उपरोक्त में पिडिता को बरामद किया जा चुका है तथा प्रकाश में आए अभियुक्त अजय कुमार पुत्र सीताराम ग्राम खालिसपुर थाना कप्तानगज आजमगढ के विरूद्ध प्रचलित है। तथा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवही करते हुए रवाना किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 13.05.2025 को उ0 नि0 काशी नाथ यादव मय हमराह का0 जीतु पाल के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय कुमार पुत्र सीताराम ग्राम खालिसपुर थाना कप्तानगज आजमगढ को थाना गेट के सामने चाय के दुकान से नियमानुसार समय 11.05 बजे प्रातः गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना प्रभारी
थाना - कप्तानगंज

05.थाना निजामाबादः किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–

दिनांक 20.04.25 को वादी द्वारा उसकी नाबालिक पुत्री को अभियुक्त अरशद पुत्र किताबु निवासी ग्राम बढ़नपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने भाई बादल के साथ अपहरण कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 136/25 धारा 140(3),351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बादल पुत्र किताबु निवासी गन्धुवई (बढ़नपुर)थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध धारा 65(1)/115(2) बीएनएस व 3 /4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण–

कल दिनांक 12.05.25 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बादल पुत्र किताबु निवासी गन्धुवई (बढ़नपुर)थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से र समय करीब 19.20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 13.05.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा पवई चौराहे पर टेंट लगाकर मार्ग को अवरुद्ध करके आम जनता के आवागमन के में बाँधा पहुँचाने व प्रशासनिक कार्य में बाँधा उत्तपन्न करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 03-03 माह के कारवास व 1300-1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना पवई में पंजीकृत अपराध जिसमें पवई चौराहे पर टेंट लगाकर मार्ग को अवरुद्ध करके आम जनता के आवागमन के में बाँधा पहुँचाने व प्रशासनिक कार्य में बाँधा उत्पन्न करने वाले IS-133 गैंग के लीडर जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया रमाकांत यादव सहित 04 आरोपी अभियुक्त को 03-03 माह के कारवास व 1300-1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 06.04.2006 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष पवई मूलचन्द चौरसिया थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 05.04.2006 को समय करीब 07.00 बजे सुबह रमाकान्त यादव (पूर्व सांसद सदर जनपद आजमगढ़) अपने दो, ढाई सौ समर्थको के साथ 5-7 असलहों से लैस होकर अपने समर्थकों डा0 राधेश्याम सिंह, दयाराम भाष्कर, रामकिशुन राजभर त्रिवेणी वर्मा, रामफल मौर्या आदि लोगों के साथ पवई चौराहे पर टेन्ट लगाकर कलान- आजमगढ़ व मित्तुपुर – आजमगढ़ मार्ग को पूर्णतया अवरुद्ध कर दिये थे जिससे आम जनता के आवागमन में काफी परेशानी उत्पन्न हो गयी तथा प्रशासनिक कार्य में बाँधा पहुची।

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 87/2006 धारा-341,143 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 03 गवाह परीक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 13.05.2025 को मा0 न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन/MP-MLA कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित IS-133 गैंग के लीडर जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया अभियुक्त 1. रमाकांत यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरांवा, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ (पूर्व सांसद सदर आजमगढ़), 2. दयाराम भाष्कर पुत्र भरत भाष्कर निवासी मैनुद्दीनपुर, थाना पवई, आजमगढ़ 3. रामकिशुन राजभर पुत्र मल्लू राजभर निवासी गद्दोपुर, थाना पवई, आजमगढ़, 4. रामकृपाल पुत्र रामबली निवासी बस्ती चक गुलरा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 03-03 माह के कारवास व 1300-1300/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।